11

456

न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर शाहजहाँपुर

वाद संख्या	146 / 13–14	धारा :	143, जेड0ए0 एण्ड एल0आर0एक्ट
ग्राम	बन्थरा	परगना :	जमौर
तहसील	सदर	जनपद :	शाहजहाँपुर

वरूण अर्जुन ट्रस्ट बी–1153 इन्दिरा नगर लखनऊ द्वारा प्रेसीडेन्ट अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र मुरारी लाल अग्रवाल निवासी–सी–8 रामपुर बाग, बरेली।

बनाम

सरकार।

नकल आदेश दि0 14.07.2014

प्रश्नगत् वाद वरूण अर्जुन ट्रस्ट बी–1153 इन्दिरा नगर लखनऊ द्वारा प्रेसीडेन्ट अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र मुरारी लाल अग्रवाल निवासी–सी–8 रामपुर बाग, बरेली द्वारा अर्न्तगत धारा–143 जेड0ए0 एण्ड एल0आर0 एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि स्थित आराजी ग्राम–बन्थरा, परगना जमौर, तहसील सदर, शाहजहाँपुर की गाटा संख्या–88 / 1.869हे0, 69क / 1.214हे0 व 26 / 0.689हे0 को अकृषिक भूमि घोषित कर भू–राजस्व से मुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

प्रश्नगत प्रार्थना पर तहसीलदार सदर से आख्या प्राप्त की गयी, जो पत्रावली पर रक्षित है। तहसीलदार सदर की आख्या के विरुद्ध कोई आपत्ति भी प्रस्तुत नही हुई है।

तहसीलदार सदर ने अपनी आख्या में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया है कि प्रश्नगत् गाटा संख्या–88 / 1.869हे0, 69क / 1.214हे0 व 26 / 0.689हे0 पर कृषि कार्य नहीं हो रहा हैं, उक्त गाटा संख्या पर काफी समय से औद्योगिक कार्य हेतु भवन निर्माण कार्य चल रहा है। प्रश्नगत गाटा संख्या को अकृषिक भूमि घोषित कर भू–राजस्व से मुक्त किये जाने की संस्तुति की है।

पत्रावली प्रस्तुत। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय साक्ष्यों एवं तहसीलदार सदर की आख्या का सम्यक रूप से अनुशीलन किया गया। तहसीलदार सदर की आख्या के अवलोकन से स्पष्ट रूप से विदित है कि प्रश्नगत गाटा संख्या–88 / 1.869हे0, 69क / 1.214हे0 व 26 / 0.689हे0 पर कृषि कार्य नही हो रहा हैं, उक्त गाटा संख्या पर काफी समय से औद्योगिक कार्य हेतु भवन निर्माण कार्य चल रहा है। उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित कर भूराजस्व से मुक्त किये जाने की संस्तुति की गई। तहसीलदार सदर की आख्या के विरुद्ध कोई आपत्ति भी प्रस्तुत नही हुई है। अतएव तहसीलदार सदर की आख्या को स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार दृष्टिगोचर प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार सदर, शाहजहाँपुर की आख्या दिनांकित 27.06.2014 को स्वीकार करते हुये भूमि स्थित आराजी ग्राम–बन्थरा, परगना जमौर, तहसील सदर, शाहजहाँपुर के गाटा संख्या–88 / 1.869हे0, 69क / 1.214हे0 व 26 / 0.689हे0 भू–राजस्व 75.00 रुपये को अकृषिक भूमि घोषित कर भूराजस्व से मुक्त किया जाता है। तद्नुसार परवाना अमल दरामद जारी हो।

आदेश की एक प्रति उप निबंधक सदर शाहजहाँपुर को भेजी जाये। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 14 जुलाई, 2014

उप जिलाधिकारी, सदर
शाहजहाँपुर

प्रार्थना पत्र देने का दिनांक 18.7.14
366
तैयारी की दिनांक 19.7.14
नकल देने का दिनांक 19.7.14
19.7.14
7200